

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2474/2026**

रजनीश @ पूती आवेदक(ओं)

बनाम

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, सरकार सचिवालय, लखनऊ के माध्यम
से उत्तर प्रदेश राज्य, विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : धीरज कुमार यादव, समर बहादुर यादव
विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर दूसरा पूरक हलफनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0496/2025, अंतर्गत धारा 2 और 3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना- मिल एरिया, जिला- रायबरेली में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 14.12.2025 से जेल में है। आगे यह भी कहा गया है कि गिरोह सारणी में आवेदक के खिलाफ दो मामलों का विवरण दिया गया है और उक्त मामलों में आवेदक जमानत पर है (जमानत आदेश जमानत याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है)। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदक 17 अन्य मामलों में भी आरोपित है, और चूंकि वह बहुत गरीब है, इसलिए वह अपने मामलों की पैरवी करने की स्थिति में नहीं है, अतः पांच मामलों में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और शेष मामलों में वह जमानत पर है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और कथित अपराध के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि गिरोह सारणी में उल्लिखित मामलों में आवेदक जमानत पर है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्राथमिकी की सामग्री, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति, गिराव सारणी और गिराव सारणी में उल्लिखित मामलों में आवेदक के जमानत आदेशों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि गैंगस्टर अधिनियम की धारा 19(4) की शर्तों का विधिवत अनुपालन किया गया है, आवेदक ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, अतः वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. आवेदक **रजनीश उर्फ पूती** को उपरोक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध में न तो भाग लेगा और न ही उसे अंजाम देगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारणीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारणीय न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

गौरावी/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।